न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.70 / प्रा.पत्र / 2024
(GCMS No. 2024 / 119)

प्रविष्टि दिनांक
20.08.2024

निर्णय दिनांक
16.12.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. नीमो पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी जिला बून्दी
2. प्रकासी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी जिला बून्दी
3. भगवान पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी जिला बून्दी
4. भोली पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी जिला बून्दी
5. संतोष पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मोहनलाल आ. चतुर्भुज ब्राहमण को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 119/1 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम डोरा आवंटन आदेश दिनांक 05.02.1983 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 70/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/119 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 24.11.2025 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि गैर खातेदारान ग्राम डोरा में निवास नहीं करते है अपितु बून्दी शहर में निवास करते है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मिसल संख्या, आवंटन की तारीख आदि का उल्लेख नहीं किया है जिससे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण है। मौका रिपोर्ट मौतबिरान की उपस्थिति में तैयार किया जाना अंकित किया है किन्तु मौतबिरान के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर नहीं करवाये गये है एवं गैर खातेदारान को मौका देखने की दिनांक के नोटिस भी जारी नहीं किये गए है। इस कारण से अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनायी गयी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति मोहनलाल को आवंटन सन 1983 में की गयी थी और उनको पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा मौके पर कब्जा संभलाया गया था। जब से प्रार्थीगण के पिता/पति मोहनलाल काबिज काश्त थे एवं उसके बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि बंजड़ किस्म की थी जिसको अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा काबिज काश्त बनाया एवं उसके बाद से लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को आवंटन हुये 41 वर्ष हो गये है। जिस पर अब खातेदारी प्राप्त करने की समय सीमा 3 वर्ष हो गयी है। इस कारण से प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार हो गये है। इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में कुआ खुदा रखा है एवं भूमि को सिंचित करने हेतु इंजन सेट लगा रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा संवत् 2081 में गेहूँ की फसल की है। जिसका अंकन खसरा गिरदावरी में है। उक्त कृषि भूमि एक फसली है जिसमें उंदालू की फसल की जाती है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि मोहनलाल आ. चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी डोरा को दिनांक 05.02.1983 को भूमि खसरा संख्या 119/1 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम डोरा का आवंटन किया गया था। ग्राम डोरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 781/119 रकबा 2.4281 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू) वर्ष 2023 संवत 2080 के अनुसार उक्त भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है।

पत्रावली पर संलग्न उपलब्ध जिला अभिलेखागार से तलब की गई मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटन पत्रावली पर आवंटी मोहनलाल को आवंटित भूमि का दिनांक 06.12.1983 को कब्जा संभलाया जाकर दखलनामा तैयार किया हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटी का आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद कब्जा होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण की ओर से जवाब के साथ पेश की गयी नकल खसरा गिरदावरी, रबी (उन्हालू) वर्ष 2025 संवत 2081 के अनुसार उक्त भूमि पर गेहूँ की फसल की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी मोहनलाल को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया जाकर दखलनामा दिया गया था। आवंटी के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी, रबी (उन्हालू) वर्ष 2025 संवत 2081 के अनुसार उक्त भूमि पर गेहूँ की फसल होने से गैर खातेदारान द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित है। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा नहीं है तो किस व्यक्ति का किस हैसियत से और कब से कब्जा है ? यदि भूमि पर किसी का भी कब्जा नही है तो कब से पडत चल रही है ? उक्त कृषि भूमि पर किसी परिस्थितिवश एक वर्ष फसल नहीं किये जाने के आधार पर भूमि आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। मौका जांच में आवंटित भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार पुनः कार्यवाही पेश करने हेतु तहसीलदार तालेडा स्वतंत्र है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी